

## 2) Educational Provisions in Indian Constitution

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने देश के संविधान का मसुदा/प्रारंभिक संविधान सभा में 26 Nov., 1949 को पेश किया और 26 Jan, 1950 से यह हमारे देश में लागू हो गया। इसके बाद 1976 ई० में 42 के संविधान में शिक्षा की समग्र सूची में 22वां गया।

1976 ई० में 42 के संविधान संशोधन इस इलकी उद्देशिक (Preamble) में समाजवाद, धर्म निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता शब्दों को जोड़कर इसकी मूल भावना को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया।

इस संविधान के अनु०-12 से 32 तक में नागरिकों के मूल अधिकार (Fundamental Rights) को स्पष्ट किया गया। <sup>→ अमेरिका</sup> इसकी संख्या पहले - 7 थी वर्तमान में 6 है।

1979 ई० में 44 के संविधान संशोधन से सम्पत्ति का अधिकार को हटा दिया गया वर्तमान समय में सम्पत्ति के अधिकार को काबूनी अधिकार की सूची में जोड़ दिया गया।

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties - कुल) की संख्या पहले - 10 थी परंतु वर्तमान में 11 है जो अनुच्छेद 51(A) के अन्तर्गत रखा गया है। मूल कर्तव्य की 2002 ई० में 93 के संशोधन में <sup>2017</sup> जोड़ा गया है।

→ संविधान का पालन करें एवं राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत का आदर करें — 51(a)

→ राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के दृष्ट में समर्थ — 51(b)

→ भारत की संस्कृति, एकता तथा अखण्डता की रक्षा — 51(c)

→ राष्ट्र की सेवा तथा देश की रक्षा — 51(d)

→ मानव की मानता का निर्माण करें तथा धर्म, भाषा, वर्ग भेदभाव का त्याग — 51(e)

\* जन्म से 6 वर्ष तक की शिशुओं के देखभाल और शिक्षा व्यवस्था — 2002 ई० में संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद - 45 में वर्णित है

\* 6-14 वर्ष तक की वार्षिक बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा — 2002 ई० में अनुच्छेद - 21(A) में दर्शाया गया है

\* शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार — अनु०-29e

\* एमि शिक्षा की विशेष व्यवस्था — 15(3)

\* समाज के कम वर्ग SC, ST के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था — अनु० - 46

\* ग्रामीण संस्कार की शिक्षा की विशेष व्यवस्था — अनु०-30

- \* मनुष्यभाषा के माध्यम से शिक्षा — अंक - 350 (A)
- \* धार्मिक शिक्षा के विषय में स्पष्ट निर्देश — अंक - 28.
- \* 21वाँ भाषा दिवस का विकास के बारे में वर्णन  
 — अंक 343.

JULY  
 21  
 22

# कम्प्यूटर निर्देशित/सहायक अनुदेशन (Computer Assisted Instruction: CAI)

## Introduction of CAI:-

आज के वर्तमान समय में कम्प्यूटर को विज्ञान और तकनीकी द्वारा मानव जाती को दिया जाने वाला सबसे अधिक उपहार कहा जा सकता है। इसके द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अद्भुत सा चमत्कार ला दिया है।

आज हमारे जीवन की लगभग सभी क्रियाएँ कम्प्यूटर से जुड़े हुई हैं। कम्प्यूटरों की सहायता से चलने वाले इस शिक्षा-अधिगम या अनुदेशन कार्य को ही कम्प्यूटर सहायित या कम्प्यूटर निर्देशित अनुदेशन का नाम दिया जाता है।

## Meaning of CAI - कम्प्यूटर निर्देशित अनुदेशन का अर्थ :-

कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन को कम्प्यूटर मशीनरी की मदद से सम्पादित किया जाता है। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन एक अनुदेशित तथा वैयक्तिक होता है। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन सर्वथा प्रचलित शिक्षा मशीन द्वारा संचालित अनुदेशन है तथा अनिश्चित पाठ्यपुस्तकों से भी तथा विचार मार्ग लाता है।

## Definition of CAI - कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन की परिभाषा:-

गुरु एवं शर्मा के अनुसार :-

“ इसके अनुसार कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को दिशा में विद्यार्थी एवं कम्प्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतीकरण तथा अनुक्रिया Recording उपकरणों के मदद-चलने वाली अन्तः क्रिया के रूप में समझा जा सकता है।”

कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि से है जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी तथा कम्प्यूटर संयोजन के

वीच एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण अनुक्रिया चलयी रहती है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेष को अपनी क्षमताओं तथा अधिग्रहित गति का अनुसरण करने हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है।

इन परिभाषाओं ने कुल तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है :-

(i) कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन में किसी एक विद्यार्थी तथा कम्प्यूटर के बीच उसी प्रकार की अनुक्रिया चलयी है जैसी कि एक ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच चलयी है।

(ii) कम्प्यूटर द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री को प्रस्तुत करना पूरी तरह संभव है।

(iii) जैसी ही अनुदेशन सामग्री कम्प्यूटर के मॉनीटर पर प्रस्तुत की जाती है विद्यार्थी उससे फायदा उठाकर उसके प्रति वांछित अनुक्रियाएँ ग्रहण करता है। इन अनुक्रियाओं को कम्प्यूटर द्वारा गति-गति ग्रहण करके, विद्यार्थी का आगे बढा करना है, वस नरद के अनुदेशन प्रदान किये जाते हैं।